# न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी— डॉ रविन्द्र गोस्वामी,आई.ए.एस

**वादीगण**

1. सूरज के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती केली देवी पत्नी सूरजमल
   1/2 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल
   1/3 अरविन्द पुत्र सूरजमल
   1/4 राजकुमार पुत्र सूरजमल
   1/5 श्रीमती मंजू पत्नी जगन्नाथ
   1/6 श्रीमती जयश्री पत्नी गोपालजी
   1/7 सुश्री नीलम पुत्री सूरजमल जातियान रेगर निवासियान आबूरोड
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र तलसाराम, जाति रैगर निवासी लुनियापुरा, आबूरोड

**प्रतिवादीगण**

1. पन्ना पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी लुनियापुरा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम</u>

राजस्व वाद संख्या 16/2003

दिनांकः— 24—10—2019

## निर्णय

यह कि वादीगण द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा आबूरोड में कृषि भूमि खसरा नम्बर 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 12[illegible] 121, 124, 103, 104, 115, 118, 125, 126, 129, 105, 123, 122 कुल किता—24 कुल [illegible] 51.04 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रारम्भ से ही दो सगे [illegible] पुत्र भागीरथ एवं तलसा पुत्र भागीरथ की सामलाती रही है यह दोनों भाई सा[illegible] भूमि पर काबिजकाश्त रहें है। दोनों भाईयों का उक्त भूमि पर आधा—आधा हिस्सा [illegible]। और दोनों भाई अपने—अपने हिस्से पर खेती करते थे। बराबर हिस्से पर तलसार[illegible] का देहान्त होने के बाद वादी संख्या 01 व 02 उनके पुत्र होने के नाते तलसार[illegible] के हिस्से में काबिजकाश्त हुये। वादीगणों को एवं उनके स्वर्गीय पिता को उनके प्रति कभी कोई संदेह नहीं हुआ और मौके पर भूमि बराबर—बराबर बटी है। वादीगणों के पिता तलसा पुत्र भागीरथ का 1997 में निधन होने के बाद पटवारी हल्का आबूरोड के पा[illegible] वादी लगान भरने गये तब प्रथम बार वादीगणों को यह ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त कृषि भू[illegible] जो 51 बीघा 04 बिस्वा है जिसके ठीक आधे भाग पर अर्थात करीब 25 बीघा 12 बि[illegible] पर वादीगण के पिता तथा वादीगणों का लगभग 30 वर्ष से भी अधिक [illegible] कब्जा होते हुये भी और वादीगणों के पिता का बराबर अधिकार होते हुए भी रिकार्ड [illegible]र गलत तरीके से विभाजन अंकित करते हुये दो पृथक खाते बना दिए जिसमें निम्नलि[illegible] नियम के विरूद्ध रिकार्ड बना हुआ है। भागीरथ के पुत्र पन्ना व तलसाराम वादग्र[illegible] कृषि भूमि से बराबर के हकदार है तो भी किसी गैर कानूनी विभाजन को आधार मानक वादीगणों के हिस्से में रिकार्ड पर मात्र खसरा नम्बर 103 रकबा 02.11 बीघा, 104 रकबा [illegible]9 बिस्वा, 115 रकबा 08.15 बीघा कुल 12 बीघा 5 बिस्वा अंकित है जबकि गत 30 वर्षो से अपने पिता के माध्यम से एवं स्वंय भी वादीगण मौके के और हिस्से के बंटवारे अनुसार संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाये हुए खसरा नम्बर 103, 104, 115, 105, 108, 109, 117, 113, 114 कुल 25 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगणों के हिस्से की है।

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

—2

खसरा नम्बर 103,104,115 तो वादीगणों के खाते में अंकित है लेकिन खसरा नम्बर 105, 108, 109, 113, 114, 117 ये नम्बर जो वादीगणों के नम्बर है प्रतिवादी संख्या 01 पन्ना पुत्र भागीरथ का खाता अलग बनाकर जोड दिया गया जो गलत व गैर कानूनी है। जिन्हें दुरस्त कराने के लिए दावा पेश किया जा रहा है।

हमने प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए। जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किए गए। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी एक ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा आबूरोड के खसरा नम्बर 105,108,109,113,114,117 की कृषि भूमि बंटवारे के दिन से ही उसके पूर्व से ही प्रतिवादी के कब्जे व उपयोग में शान्तिपूर्वक बिना किसी एतराज के आ रही है। अतः बॉय लॉ ऑफ एडवर्श पजेशन से भी यह प्रतिवादी उस भूमि का खातेदार कृषक है एवं इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज करने का कथन किया है।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात निर्णित की जाती है।

तनकी–1–आया मौजा आबूरोड के खसरा संख्या 103,104,115,105,108,109,113,114,117 कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 4 विस्वा वादग्रस्त भूमि पर वादी व उनके पिता को 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने से वादीगण इस भूमि पर खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण, मौजा आबूरोड के खसरा संख्या 103,104,115,105,108,109,113,114,117 कुल किता 9 कुल रकबा 25 बीघा 4 विस्वा पर वादी व उनके पिता का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहा है। और यह कहा गया है कि मौके पर कब्जा काश्त वादी का है। जवाब मे प्रतिवादी ने जमाबंदी संवत 2014 से लेकर 2025 की प्रमाणित नकल, जमाबंदी सवंत 2054 से 2057 की नकल, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 11.01.80 लगाई है तथा कहा है कि , रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 6.3.80 की पालना मे वह, खसरा 105,113,114,106,107,108,109,110,111,112,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,129 किता 21 कुल रकबा 38.19 बीघा पर काबीज है। राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 6.3.80 की पालना मे नामान्तरकरण संख्या 43 बाद जांच दिनांक 10.6.81 को स्वीकृत किया गया। तदुपरांत, राजस्व रिकार्ड उसी अनुसार चलता रहा तथा दिनांक 2.11.2000 की मौका कमिश्नर रिपोर्ट भी यह स्पष्ट करती है कि उभय पक्ष जमाबंदी अनुसार अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। अतः 30 वर्ष का कब्जा काश्त निर्विवादित तथा निर्विरोध रूप से न करने के कारण तनकी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा एडवर्ड पजेशन के आधार पर खसरा नम्बर 105, 108, 109, 113, 114, 117 पर खातेदारी की घोषणा का दावा खारिज किया जाता है।

तनकी–2–आया वादीगण उक्त खसरा नंबर की भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा पाने अधिकारी है।– जिम्मे वादीगण, आंशिक स्वीकार खसरा 103, 104 व 115 कुल 12.5 पर वादी के पक्ष मे स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।प्रतिवादी स्वंय या अपने ऐजेंटो के माध्यम से वादी को उक्त खसरान पर हैरान, परेशान व बेदखल ना करे। अन्य खसरान पर खातेदारी अधिकार सिद्ध ना होने से स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी–3– आया उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्ती कराने के वादीगण अधिकारी है।– जिम्मे वादीगण, उपरोक्त अनुसार विरूद्ध वादी निर्णित की जाती हैं।

तनकी–4 आया खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा हो जाये तो वादीगण खाली कर कब्जा जाने का अधिकारी है– जिम्मे प्रतिवादीगण, समस्त साक्ष्यों से सिद्ध हो रहा है कि खसरा 105,108,109,113,114,117 पर प्रतिवादी का ना केवल कब्जा है, बल्कि प्रतिवादी सन् 1980–81 से उक्त भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार है। वादी अपने साक्ष्यों व गवाहों से यह सिद्ध करने में नाकाम रहा है कि क्यूँ कि बँटवारानामा के आधार पर अस्तित्व में आए राजस्व रिकार्ड को गलत माना जाए। वादी यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि उक्त विवादित भूमि पैतृक है ।

— 3

न्यायालय सहायक कलक्टर अबूपर्वत (राजस्थान)

सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

तथा जिस पर दोनों भाईयों का बराबर हिस्सा बनता है। आवंटित भूमि का यदि रजिस्टर्ड बँटवारानामा से बँटवारा होकर, राजस्व रिकार्ड अस्तित्व में आता है, तो वादी को अकाट्य व निर्विवाद रूप से सिद्ध करना होगा की लगभग 15–20 वर्ष पुराना रिकोर्ड क्यूँ गलत है? चूँकि वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया है। अतः तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी–5–आया वादी के पिता व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 6.3.1980 को लिखित बंटवारा हुआ था। जिसके अनुसार वादीगण के पिता के हिस्से में खसरा नंबर 103,104,115, कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा भूमि थी जिस पर ही वह काबिज था और उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज हुआ जो सही है– जिम्मे प्रतिवादीगण, उपरोक्तानुसार प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी–6–वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है– जिम्मे प्रतिवादीगण, उपरोक्तानुसार प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी–7–आया वादीगण ने झूठा दावा पेश किया है जिससे प्रतिवादीगण रूपये 25000/– विशेष हर्जाना पाने के अधिकारी है– जिम्मे प्रतिवादीगण, प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्तानुसार तनकियात को निर्णित करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य है।

## आदेश

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 एवं 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा आबूरोड के खसरा नंबर 103, 104, 115 कुल किता तीन कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा का ही वादीगण को खातेदार घोषित कर मौजा आबूरोड के अन्य खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 पर खातेदारी की घोषणा का वादीगण का दावा, वादीगण उक्त भूमि पर 30 वर्षो का कब्जा काश्त निर्विवादित होने तथा निर्विरोध रूप से होने का सिद्ध न करने कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादीगण का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत

आदेश आज दिनांक 24–10–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

# डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑ. 21 रूल 6,7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर मुकाम आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी –(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) , आई.ए.एस .

वादीगण

1. सूरज के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती केली देवी पत्नी सूरजमल
   1/2 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल
   1/3 अरविन्द पुत्र सूरजमल
   1/4 राजकुमार पुत्र सूरजमल
   1/5 श्रीमती मंजू पत्नी जगन्नाथ
   1/6 श्रीमती जयश्री पत्नी गोपालजी
   1/7 सुश्री नीलम पुत्री सूरजमल जातियान रेगर निवासियान आबूरोड
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र तलसाराम, जाति रैगर निवासी लुनियापुरा, आबूरोड

प्रतिवादीगण

1. पन्ना पुत्र भागीरथ जाति रैगर निवासी लुनियापुरा
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 व 188,209 काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या 16/2003

दिनांकः– 24–10–2019

यह आज मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुदई प्रतिवादीगण अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,89,91 एवं 188,209 काश्तकारी अधिनियम 1955 को आंशिक स्वीकार किया जाता है। मौजा आबूरोड के खसरा नंबर 103, 104, 115 कुल किता तीन कुल रकबा 12 बीघा 05 विस्वा का ही वादीगण को खातेदार घोषित कर मौजा आबूरोड के अन्य खसरा नंबर 105,108,109,113,114,117 पर खातेदारी की घोषणा का वादीगण का दावा, वादीगण उक्त भूमि पर 30 वर्षो का कब्जा काश्त निर्विवादित होने तथा निर्विरोध रूप से होने का सिद्ध न करने कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का वादीगण का दावा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निचे———×————मुतलिक————×————बाबत। खर्चा इन मुकदमे के मय सूद वगैरह————×————फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक————×————को अदा करें।

वसीब्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.10.2019 को जारी की गई है।

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी) I.A.S.
सहायक कलेक्टर,आबूपर्वत
आबू-पर्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Ravindra Goswami
Date: 2019.11.25 15:11:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: